



बिहार सरकार

# समाहरणालय, खगड़िया



ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,

generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- <https://khagaria.nic.in>

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक-205, दिनांक 01.10.2020 द्वारा निम्नलिखित मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

क्र०	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या एवं प्रकार	शस्त्र की स्थिति (पुलिस प्रवितेदन के अनुसार)
1	2	3	4
1	स्व० उदय कुमार भगत, पे०-स्व० गणेश प्रसाद, साकिन-थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया	राईफल अनुज्ञप्ति सं०-03/1997 (बेलदौर थाना)	भागलपुर गण हाउस में जमा है।


अतः उपरोक्त मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। थानाध्यक्ष बेलदौर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित से शस्त्र जमा करने का प्राप्ति रसीद के साथ मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ह/

जिला दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020.....628...../जी०, दिनांक 08.10.2020

- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, बेलदौर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके पत्रांक-205, दिनांक 01.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए सूचित करना है कि आपके पत्रांक 204, 206, 207 एवं 208/चुनाव, दिनांक 01.01.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 280/जी०, दिनांक 04.04.2019 एवं ज्ञापांक-605/जी, दिनांक 24.09.2020 द्वारा रद्द की जा चुकी है।  
 प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 जिला दण्डाधिकारी,  
 खगड़िया।